न्यायालय सिविल जज जू0डि0, टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद सं0 382/2018

सीएनआर नं0 यूपीएएन1200

सन्तराम ––बनाम–– बृजमोहन आदि

दिनांक

02.04.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बयान अंतर्गत आदेश 10 नियम 2 सी0पी0सी0 अभिलिखित किया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण 7ग2, 39ग2 व 36क1 नियत है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में अभी इस स्तर पर उभय पक्षों के मध्य धारा 89 सी0पी0सी0 के अंतर्गत सुलह–समझौते का कोई भी तत्व विद्यमान नहीं है। ऐसी दशा में उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैंः–

1. क्या वादी वाद पत्र में किये गये अभिकथनों के आधार पर विवादित भूमि के संबंध में वॉछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?
2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
3. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
4. क्या वाद का कोई कार्य कारण उत्पन्न नहीं है?
5. क्या दावा वादी कानूनन ग्राह्य नहीं है?
6. क्या दावा वादी न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के बाहर है?
7. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु न ही बनता है और न ही बनाये जाने पर पक्षकारों द्वारा बल ही दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2 व 3 लंच बाद पेश हो।

सिविल जज जू0डि0, टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0 कोड यूपी2353

Digitally signed by Priti Bhushan
Date: 2021.04.06 10:58:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court